कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 3616 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 06.09.2021

/ / आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय— कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश।

संदर्भ— मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के दिशा निर्देश पत्र कमांक एफ 35—09 / 2020 / सी—2 / दो, दिनांक 1 सितम्बर, 2021

--0—

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देश के क्रम में धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों के दृष्टिगत निम्नानुसार नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे—

1— प्रतिमा / ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी जावे कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह (Constricted space) के कारण श्रद्धालुओं / दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें। झॅांकी स्थल पर श्रद्धालुओं / दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।

2— मूर्ति / ताजियें (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

निरन्तर....2

District Magistrate
District-Indore (M. P.)

3- स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाय ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।

4- कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

5- सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पण्डालों/विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 6/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 3617 / री0ए0डी0एम0 / 2021 — इन्दौर, दिनांक 06-09-2021

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

निरन्तर....3

3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District-Indore (M. P.)